



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.  
Ref. No.

F44273

सी-1/एन0ओ0सी0-1041/2014

पंजीकृत  
दिनांक  
Date

9-6-14

सेवा में,

मै0 कैपिटल इन्क्राटेक होम्स प्रा0लि0,  
बी-41/9, प्रथम तल, रायल प्लाजा मार्केट, सेक्टर-31,  
नोएडा।

विषय: आवासीय परियोजना मै0 "कैपिटल एथोना", प्लॉट नं0- जीएच-12, ए-2,  
सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा की अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में बैंक गारण्टी जमा  
करने हेतु।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयक अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र का संदर्भ ग्रहण  
करने का कष्ट करें।

सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार यदि आप उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में  
रू0-10,00,000/- (रू0-दस लाख मात्र) की बैंक गारण्टी, जो पाँच वर्ष के लिए वैध हो तुरन्त  
जमा कर देते हैं, तो आपके आवेदन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। बैंक गारण्टी  
का प्रारूप तथा उसमें निहित शर्तें संलग्न हैं, इसी प्रारूप तथा शर्तों के अनुरूप ही बैंक गारण्टी 15  
दिन में जमा करनी है। यदि आप द्वारा निर्धारित समय पर उपरोक्तानुसार बैंक गारण्टी जमा नहीं  
की जाती है, तो आपकी अनापत्ति अस्वीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बैंक गारण्टी पर दी गई शर्तों का उल्लंघन होने पर बैंक गारण्टी बोर्ड  
द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

  
मुख्य पर्यावरण अभियंता वृत्त-1

प्रतिलिपि:

सहायक पर्यावरण अभियंता, (प्रभारी) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को सूचनाार्थ  
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

मुख्य पर्यावरण अभियंता, वृत्त-1